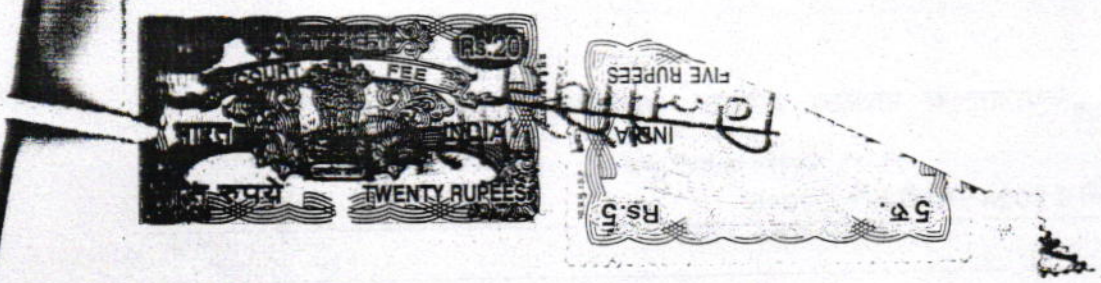

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 पुनरीक्षण

तेजसिंह पुत्र स्व0 श्री अमरसिंह निवासी–ग्राम मुगालिया छाप, तहसील हुजूर जिला भोपाल, म0प्र0

––आवेदक

बनाम

गिरधारीलाल पाटीदार पुत्र श्री भंवर जी पाटीदार निवासी–ग्राम मुगालिया छाप, तहसील हुजूर जिला भोपाल, म0प्र0 ––अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 06/06/2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 245/2015–16/बी–121 व उनवान तेजसिंह बनाम गिरधारीलाल, जिसके द्वारा आवेदक के पक्ष में पारित स्थगन आदेश दिनांकी 03/06/2016 निरस्त किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग.2024–पीबीआर/2016 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–09–2016	आवेदक की ओर श्री एस0के0श्रीवास्तव, अधिवक्ता तथा अनावेदक की ओर से श्री अनिल गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने गये । उनके द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 6–6–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा तहसीलदार ने आवेदक को पूर्व में दिये स्थगन को निरस्त किया गया है । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24–6–16 को इस आदेश के विरूद्ध निगरानी ग्राह्य करते हुये तहसीलदार के वादग्रस्त आदेश दिनांक 6–6–16 का कियान्वयन स्थगित किया गया । तथा बाद में दूसरे पक्ष के उपस्थित होने पर उभयपक्ष को सुनने के बाद दिनांक 5–7–16 को अंतरिम आदेश पारित कर दिनांक 24–6–16 के स्थगन आदेश को निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16–7–16 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभयपक्ष को यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अब इस न्यायालय में मात्र स्थगन के बिन्दु पर प्रचलित निगरानी को आगे सुने जाने का कोई औचित्य न होने से यह प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ कि वे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के पालन में कार्यवाही करें । इस न्यायालय में यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	